

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

1	परियोजना/स्कीम का स्थापना	पोल्यूशन अबेटमेंट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii.	जिला	नैनीताल
iii.	वन प्रभाग	रामनगर वन प्रभाग।
iv.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.9488 है0
v.	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि।
Vi.	हरियाली का घनत्व	0.6.....
vii.	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर एल, एफ आर एल-2 मी0 पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	संलग्न।
viii.	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी-	शून्य।
ix.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन भूमि की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से संलग्न।
x.	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाय)-	नहीं।
xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटपन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें-	नहीं।
xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें	शून्य
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं	न्यूनतम
9.	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भ चल रहे हैं।	नही

(8)

10.	प्रतिपूरक वनीकरण की स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक नहीं।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	N/A
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	N/A
iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	N/A
iv.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	N/A
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम गपए गपपद्ध 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)–	नहीं।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	679400 हेक्टेयर
ii	ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	97 सौ 171.5 हे०
iii	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	230,2642 हे०
iv	दण्ड के रूप प्रति पूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
v	वनेत्तर भूमि	—
vi	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	2016-17
vii	वन भूमि पर	230,2642 हे०
viii	वनेत्तर भूमि पर	—
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु एवं कोसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जमीन में होने के कारण वन अभिक्षा की संस्तुति की जाती है। -

तिथि 06-10-16

स्थान रामनगर

रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु एवं कोसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जमीन में होने के कारण वन अभिक्षा की संस्तुति की जाती है। -

रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु एवं कोसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जमीन में होने के कारण वन अभिक्षा की संस्तुति की जाती है। -

रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु एवं कोसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जमीन में होने के कारण वन अभिक्षा की संस्तुति की जाती है। -